केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं का स्थानांतरण

3440. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :
डा० बापू कालदाते :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी० पी० डब्ल्यू० डी०) के अधिकांश कनिष्ठ अभियंता विगत पांच वर्षों से एक जगह में काम कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति तथा नियम क्या क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् भी कनिष्ठ अभियंताओं को उनके कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि देवनगर, लक्ष्मीबाई नगर, दक्षिणी मोती बाग, नानकपुरा तथा आर.के.पुरम में तैनात कनिष्ठ अभियंता लम्बी अवधि से यहां कार्य कर रहे है तथा इन सरकारी कालोनियों में काम संतोषजनक रूप से नहीं हो रहा है ; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थूगन) : (क) से (ग) निर्धारित नीति के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए एक ही स्थान पर रहने की सामान्य अवधि 4 वर्ष है और दिल्ली के मामले में यह अवधि 10 वर्ष है। दुर्गम क्षेत्रों के मामले में यह अवधि दो वर्ष है। कार्य की अत्यावश्यकता अथवा अनुकम्पा के आधार पर कुछ मामलों में एक ही स्थान पर रहने की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। कुछ मामलों में तैनाती आदेश जारी होने के पश्चात भी, किसी स्थान विशेष पर रहने की अवधि में बढ़ोत्तरी के लिए अनुरोध पर निर्णय लिए जाने तक, कनिष्ठ इंजीनियरों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

(घ) जी, हां। यह सत्य है कि देव नगर, लक्ष्मीबाई नगर, साउथ मोती बाग नानक पुरा और आर०के० पुरम सेवा केन्द्रों में तैनात कुछ कनिष्ठ इंजीनियर वहां 5 वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में रहने की अवधि 10 वर्ष है। तथापि, इन कालोनियों में कार्य को संतोषप्रद ढंग से किया जा रहा है ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में बताये अनुसार कनिष्ठ इंजीनियरों को सामान्यत: दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानान्तरित किया जा रहा है।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

3441. श्री रत्न बहादुर राय :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शेष अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या शहरीकरण आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों तथा सरकार की राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसार कोई कार्य योजना आरम्भ की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि जून, 1977 के बाद बनी अनधिकृत कालोनियों में सड़कों, नालियों जैसी नागरिक सुविधायें सुलभ नहीं हैं। तथापि, 1-1-91 तक मौजूद तथा दिल्ली प्रशासन की 1986 की अधिसूचना के अनुपालन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र कालोनियों में लाभार्थियों द्वारा विकास शुल्क देने पर बिजली पानी की आपूर्ति की गई है।

(ग) दिल्ली में पात्र झुग्गी समूहों और स्लम निवासियों को मूलभूत सुविधाये तथा आश्रय सुलभ कराने की योजनायें चलाई जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेय जल की कमी

3442. **डा० संजय सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित योजनाओं में तेजी लाने हेतु अब तक कोई कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में पेयजल से सम्बन्धित स्कीमों में तेजी लाने के उपाय आरम्भ किए हैं। केन्द्र सरकार ने 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए एक त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तरिम रूप से 50.00 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त पोषण पद्धति स्कीम आधार पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मध्य 50:50 होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के उक्त श्रेणी के कस्बों के लिए भी सहायता मुहैय्या कराने पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Poor quality of material used by DDA

3443. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that poor quality building material is being used in constructing the DDA flats for the use of the public and some times DDA's flats need wooden crutches; and

(b) if so, what action Government propose to take to provide good quality material in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) It has been reported by DDA that it is not a fact that poor quality building material is being used in construction of DDA flats. Isolated cases have arisen at Pulpheladpur where LIG flats bearing No. 60 and 62 had developed cracks due to uncertain behaviour of the soil and unequel settlement, where wooden supports have been provided and detailed investigation have ensued. Only materials conforming to I.S. Specifications, wherever manufactured, are used in DDA works and, in case Indian standard Institute marked materials are not available/manufactured, materials conforming to standards